

प्रेषक

जिला नगर योजनाकार,
रोहतक।

सेवा में,

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,
रोहतक।

यादि क्रमांक :-

1855

दिनांक 08-6-2017

विषय:

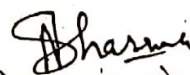
Issuance of Revised NOC for construction of School Building.

हवाला:-

आवेदनकर्ता (डा0 नवनीत अहलावत मार्फत करस्तूरी देवी मैमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट, रोहतक) के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.5.2017 के संदर्भ में। व इस कार्यालय के यादि क्रमांक 1070 दिनांक 06.5.2015 के अनुक्रम में।

उपरोक्त हवालाधीन पत्रों के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि विषयक स्थल खसरा/किला नं0 102//16/2/1, 16/2/2/1, 101//20, 102//14/3, 16/1/2, 102//16/2/2, 17, 102//15/2, (कुल रकबा 26 कनाल - 1 मरला) गौव कबुलपुर, जिला-रोहतक इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी नियन्त्रित क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से बाहर पड़ते है यह सूचना निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. जब भी दल का स्थल नियन्त्रित क्षेत्र/शहरी क्षेत्र के अर्न्तगत आएगा तो पंजाब अनुसूचित सड़क एवं नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम 1963, (1963 का पंजाब अधिनियम संख्या 41), एवं हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम 1975 के अनुसार स्थल पर धाराएं लागू हो जाएगी तथा इस विभाग से आवश्यक अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
2. यह सूचना स्थल पर लागू अन्य किसी विभाग के नियमों/अधिनियमों को प्रभावित नहीं करेगी।
3. स्थल से पहुँच मार्ग, पार्किंग, पानी की सुविधा, खेल के मैदान एवं भवन निर्माण से सम्बन्धित स्थिरता प्रमाण पत्र आप अपने स्तर पर जांच लें।


जिला नगर योजनाकार,
रोहतक।